## चार पहियों वाले हल्के यात्री व मालवाहनो के लिए दिशानिर्देश

- छ लेन वाली सड़कों पर, जहां मध्य पटरी की सुविधा हो या न हों, वहां सभी चार पहियों वाले हल्के यात्री व मालवाहन जैसे ओमनी कारगो, महिन्द्रा पिकअप, टुरिस्ट टैक्सी,मोटर कैब,आर टी वी आदि बाई लेन अर्थात बस लेन मे चलेगें।
- चार लेन वाली सड़कों पर,जहां मध्य पटरी की सुविधा हो या न हो तथा बस लेन रेखांकित हो या न हो,सभी चार पहियों वाले हल्के यात्री व मालवाहन जैसे ओमनी कारगो, महिन्द्रा पिकअप,टुरिस्ट टैक्सी,मोटर कैंब,आर टी वी आदि बाई लेन में चलेगें।
- सभी सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा व बेहतर ट्राफिक अनुशासन हेतु, यह सभी वाहन चौराहो से 50 मीटर पूर्व, केवल मुडने के लिए अपनी लेन बदल सकते है।

यातायात नियमों का पालन करें अपनी व अन्य सड़कप्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें।



24 x 7 यातायात पुलिस हैल्पलाईन न0.: 25844444, 1095, SMS: 56767

ई-मैल : info@delhitrafficpolice.nic.in वैबसाईट : www.delhitrafficpolice.nic.in

## GUIDELINES FOR FOUR-WHEELED LIGHT PASSENGER & GOODS VEHICLES

\*\*\*\*\*

- On six-lane roads with or without a provision of central median, all four-wheeled light transport vehicles such as Omni Cargo, Mahindra Pick-up, Taxi, Tourist Taxi, Motor Cab, RTV, etc. to ply on the extreme left lane i.e., the bus I an e.
- On four-lane roads with or without a provision of central median and where the bus lane has not been segregated/marked, all for-wheeled light transport vehicles such as Omni Cargo, Mahindra Pick-up, Taxi, Tourist Taxi, Motor Cab, RTV, etc. to ply on the extreme left lane.
- These motor vehicles can change their respective lanes 50 mtrs. before an intersection only for the purpose of turning, in the interest of safety of all road users and for better traffic discipline.

DO respect the Light Signals
These are for your own safety & smoothness



24 x 7 Traffic Helpline No.: 25844444,1095, SMS: 56767

e-mail: info@delhitrafficpolice.nic.in website: www.delhitrafficpolice.nic.in